राजस्थान में कृषि की स्थिति, संबंधित नीतियां एवं बजट आवंटन

2022

आस्था, उदयपुर

सीबीजीए, नई दिल्ली

बार्क ट्रस्ट, जयपुर

यह दस्तावेज़ निःशुल्क, निजी प्रसार वितरण के लिए है और इसका कोई मूल्य नहीं है। पूर्व लिखित अनुमति के बगैर, शैक्षणिक और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस प्रकाशन का पुनर्निर्माण अधिकृत है, बशर्ते स्त्रोत को पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो।

यह प्रकाशन क्रिएटिव कहमन्स एट्रीब्यूशन **4.0** के अंतर्गत है **(CC-BY)**_
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
कृषि क्षेत्र में बजटीय व्यय पर फैक्टशीट (राज्यः राजस्थान), सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) नई दिल्ली

लेखक
महेन्द्र सिंह राव, नेसार अहमद

संपादकीय सहयोग
गुरप्रीत सिंह, संतोष कुमार वर्मा, शुचिता रावल

तकनीकी सहयोग
ख्वाजा मोबीन उर रहमान

डिज़ाइन
यशोदा बंदुनी

प्रकाशक
सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी
बी-7 एक्सटेंशन/ 110 ए (ग्राउंड फ्लोर), हरसुख मार्ग, सफदजरजंग एन्क्लेव
नई दिल्ली, 110029
फोन : +91-11-49200400/ 401/ 402
वेबसाइट : www.cbgaindia.org
Emai: info@cbgaindia.org

बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट
प्लाट नंबर- 02, रूप नगर,
हरि मार्ग, सिविल लाइन्स, जयपुर-302006, राजस्थान
फोनः 0141-2740073
वेबसाइट : www.barcjaipur.org
ई.मेल : barctrust@gmail.com

इस फैक्टशीट में व्यक्त सभी विचार लेखकों के हैं और कोई जरूरी नहीं कि वे सीबीजीए, बार्क ट्रस्ट और आस्था का प्रतिनिधित्व करते हों।

भूमिका

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है एवं देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में इसका अनुपात करीब 10.4 प्रतिशत है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 8 वां बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6.86 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत है। राजस्थान में विविध प्रकार की कृषि-जलवायु विशेषताएं विद्यमान हैं एवं जलवायु के आधार पर राज्य को 10 जलवायुवीय क्षेत्रों में बांटा गया है। अरावली श्रेणी राज्य को दो अलग-अलग भागों में विभाजित करती है। राज्य का पश्चिम और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र थार के मरुस्थल (Great Indian Desert) के रूप में जाना जाता है, जिसमें 11 जिले शामिल हैं और राज्य का लगभग 61 प्रतिशत क्षेत्रफल आता है। राजस्थान में आजीविका की दृष्टि से कृषि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है एवं राज्य की करीब 62 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका हेतु कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। अतः इस लिहाज से कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान में खेती कई नीतिगत चुनौतियों का सामना कर रही है। इस संक्षिप्त प्रपत्र में राजस्थान में कृषि की स्थिति, संबंधित नीतियों एवं बजट आवटंन का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान देखा जाये तो वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में इसका हिस्सा तकरीबन 30 प्रतिशत रहा है। पिछले दशक के आरंभ में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा लगभग 22 प्रतिशत से बढ़ते हुए अब कोरोना के कारण 29.5 प्रतिशत हो गया है। हालांकि वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य के कुल जीएसवीए में इस क्षेत्र का हिस्सा लगभग स्थिर रहा है।

तालिका 1: राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार हिस्सा (2011-12 की स्थिर कीमतों पर) (प्रतिशत में)

क्षेत्र/वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 *	2019-20 #	2020-21 $
कृषि	22.09	21.16	20.27	27.81	25.88	26.42	25.33	25.61	26.73	29.45
उद्योग	29.85	28.83	28.54	30.54	33.29	33.17	32.70	29.49	28.57	28.15
सेवाएं	48.06	50.01	51.19	41.65	40.83	40.41	41.97	44.90	44.70	42.40

चार्ट 1: राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार हिस्सा

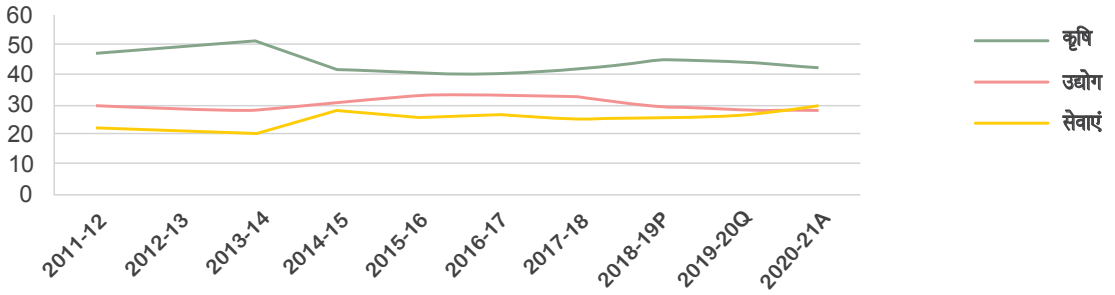

स्रोतः आर्थिक समीक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष
नोट : * संशोधित अनुमान-II # संशोधित अनुमान-I $ अग्रीम अनुमान

तालिका 2: राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार वृद्धि दर (2011-12 की स्थिर कीमतों पर) (प्रतिशत में)

क्षेत्र/वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19*	2019-20 #	2020-21$
कृषि	8.72	-0.09	5.04	9.51	3.45
उद्योग	6.09	2.74	-6.28	1.61	-7.50
सेवाएं	5.35	8.23	11.18	4.43	-10.95

स्रोतः आर्थिक समीक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष
नोट : * संशोधित अनुमान-II # संशोधित अनुमान-I $ अग्रीम अनुमान

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में वर्षवार काफी उतार-चढ़ाव रहता है जिसका प्रमुख कारण यहां वर्षा का अनियमित एवं असमान होना है। कृषि का प्रदर्शन राज्य की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास को भी निर्धारित करता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान कृषि और संबद्ध क्षेत्र का रहने के साथ इसमें स्थिर कीमतों पर 3.45 प्रतिशत सकारात्मक वृद्धि हुई है। जबकि कोविडकाल में अन्य दोनों क्षेत्रों (सेवा एवं उद्योग) में नकारात्मक वृद्धि हुई है।

कृषि क्षेत्र में पशुधन का योगदानः राजस्थान में कृषि के साथ पशुपालन भी एक प्रमुख गतिविधि है एवं कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान देखा जाए तो वर्ष 2020-21 में राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में पशुपालन का योगदान 11.69 प्रतिशत रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में यह करीब 42.6 प्रतिशत है। पशुगणना-2019 के अनुसार राज्य में करीब 5.68 करोड़ पशुधन है। देश के कुल पशुधन का 10.58 प्रतिशत राजस्थान में है एवं वर्ष 2017-18 में राज्य का देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 12.72 प्रतिशत तथा ऊन उत्पादन में 34.46 प्रतिशत हिस्सा रहा है।

पशुपालनः राज्य में, विशेष रुप से शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में, सूखे एवं अकाल जैसी विपरीत परिस्थितियों के दौरान लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा पशुपालन जैविक खेती को भी महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। अतः राज्य के वर्षा आधारित क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देकर कृषि प्रणाली को स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है।

उत्पादनः राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 342.68 लाख हैक्टेयर है जिसमें वर्ष 2018-19 में वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल करीब 52 प्रतिशत (178 लाख हैक्टेयर) एवं सकल बोया गया क्षेत्रफल 74 प्रतिशत (253 लाख हैक्टेयर) है। अतः दुपज क्षेत्रफल करीब 75 लाख हैक्टेयर है[1]। राजस्थान में अनाज में सर्वाधिक उत्पादन गेंहू का एवं दलहन में सर्वाधिक उत्पादन चने का होता है, हालांकि दलहन में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल मोठ का है। तिलहन फसलों के अंतर्गत राई व सरसों का उत्पादन एवं कृषि क्षेत्रफल दोनों सर्वाधिक है। राज्य में कुल क्षेत्रफल की लगभग 11.37 प्रतिशत भूमि बंजर व व्यर्थ है। बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र जैसलमेर में तथा बीहड़ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र धौलपुर में है। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 271.33 लाख टन अनुमानित है (आर्थिक समीक्षा, 2020-21)।

[1]https://agriculture.rajasthan.gov.in/content/dam/agriculture/Agriculture%20Department/media- publications/progressive-report/final_parsasanik_paragati_2020-21.pdf

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में संलग्न लोग

निम्न तालिका में राज्य की कार्यबल जनसंख्या में कृषि कार्य में संलग्न लोगों का प्रतिशत दिखाया गया है। तालिका से देखा जा सकता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या में करीब 55.3 प्रतिशत किसान थे, जो 2011 में कम होकर 45.6 प्रतिशत हो गये हैं। जबकि इसी दौरान खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत बढ़ा है। 2001 में राज्य की कुल कार्यबल जनसंख्या में करीब 10.6 प्रतिशत खेतीहर मजदूर थे, जो 2011 में बढकर 16.5 प्रतिशत हो गये हैं। अतः राज्य की कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत बढ़ रहा है। इस प्रकार राज्य में कुल कार्यबल में 62 प्रतिशत से अधिक लोग किसान एवं कृषि मजदूर के रुप में संलग्न हैं।

तालिका 3-राज्य की कार्यबल जनसंख्या में कृषि कार्य में संलग्न लोगों का प्रतिशत

2001

	खेतीहर किसान			कृषि मजदूर			कुल		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
कुल	55.3	48.1	67.0	10.6	7.2	16.2	65.9	55.3	83.2
ग्रामीण	65.1	60.9	70.7	12.3	8.9	16.8	77.4	69.8	87.5
शहरी	5.6	4.0	14.7	2.2	1.4	6.9	7.8	5.4	21.6

2011

	खेतीहर किसान			कृषि मजदूर			कुल		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
कुल	45.6	41.1	52.6	16.5	11.7	24.2	62.1	52.8	76.8
ग्रामीण	54.8	53.4	56.6	19.4	4.6	25.6	74.2	68	82.2
शहरी	4.7	56.6	9.4	3.7	2.6	8.8	8.4	6.3	18.2

स्रोतः जनगणना प्रतिवदेन, 2001 एवं 2011

उपरोक्त तालिका के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों को अलग-अलग देखा जाए तो करीब 74 प्रतिशत ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका हेतु कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। इसके अलावा कृषि कार्य में संलग्न लोगों का लिंगवार प्रतिशत देखा जाये तो किसान एवं एवं कृषि मजदूर दोनों श्रेणियों में महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है।

राज्य में कृषि जोतों का आकार एवं वितरण

राज्य में कृषि जोतों के वितरण में बहुत विषमताएं होने के साथ इनके औसत आकार में भी लगातार कमी होती जा रही है। कृषि गणना (2015-16) के अनुसार राज्य में कृषि जोत का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर कृषि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है। राज्य में जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का श्रेणीवार वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 4: राजस्थान में जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का श्रेणीवार वितरण (प्रतिशत में)

जोतों की संख्या

	सीमांत (1 हैक्टेयर से कम)	लघु (1-2 हैक्टेयर)	अर्ध मध्यम (2-4 हैक्टेयर)	मध्यम (4-10 हैक्टेयर)	बड़े (10 हैक्टेयर से अधिक)	कुल
2010-11	36.45	21.94	19.38	16.36	5.87	100
2015-16	**40.12**	**21.91**	**18.50**	**14.79**	**4.69**	**100**

जोतों की क्षेत्रफल

	सीमांत (1 हैक्टेयर से कम)	लघु (1-2 हैक्टेयर)	अर्ध मध्यम (2-4 हैक्टेयर)	मध्यम (4-10 हैक्टेयर)	बड़े (10 हैक्टेयर से अधिक)	कुल
2010-11	5.86	10.23	17.86	32.73	33.33	100
2015-16	**7.10**	**11.45**	**19.11**	**33.05**	**29.29**	**100**

जोतों का औसत आकार

	सीमांत (1 हैक्टेयर से कम)	लघु (1-2 हैक्टेयर)	अर्ध मध्यम (2-4 हैक्टेयर)	मध्यम (4-10 हैक्टेयर)	बड़े (10 हैक्टेयर से अधिक)	कुल
2010-11	0.49	1.43	2.83	6.14	17.44	100
2015-16	**0.48**	**1.42**	**2.82**	**6.09**	**17.03**	**100**

चार्ट 2: राजस्थान में जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का श्रेणीवार वितरण (प्रतिशत में) (2015-16)

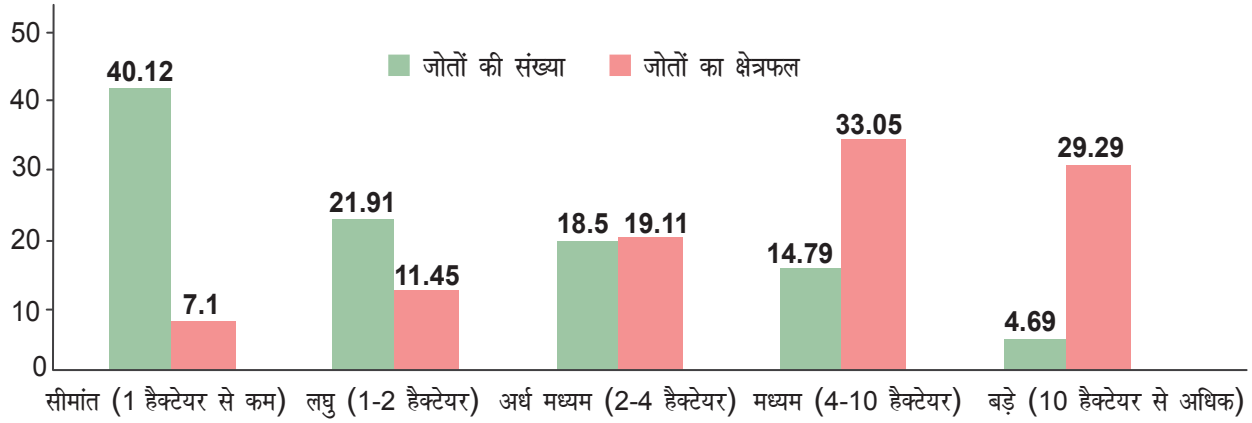

स्रोतः आर्थिक समीक्षा, 2020-21, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

राज्य में जोतों के स्वामित्व के अनुसार वितरण को देखा जाये तो इसमें व्यापक विषमताएं हैं। राज्य की कुल जोत संख्या में करीब 40 प्रतिशत सीमांत जोतें (1 हेक्टेयर से कम) हैं जिनके अन्तर्गत मात्र 7 प्रतिशत ही भूमि आती है। कुल भूमि मालिकों में से करीब 62 प्रतिशत लघु एवं सीमातं किसान हैं जिनके पास कुल भूमि का करीब 17.5 प्रतिशत है। वहीं मध्यम जोतें (4 से 10 हेक्टेयर) 14.8 प्रतिशत हैं जिनके अन्तर्गत 33 प्रतिशत भूमि आती है। जबकि कुल जोतों में बड़ी जोतें (10 हेक्टेयर से अधिक) 4.7 प्रतिशत हैं जिनके अन्तर्गत 29 प्रतिशत भूमि आती है। इस प्रकार कुल जोतों में 4 हेक्टेयर तक की कुल जोतें 80.5 प्रतिशत हैं जिनके अन्तर्गत 37.7 प्रतिशत भूमि ही आती है। वहीं 4 हेक्टेयर से अधिक की भू-जोतों का हिस्सा 19.5 प्रतिशत है जिनके अन्तर्गत 62.3 प्रतिशत भूमि आती है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे-एनएसएस, 77वां दौर के प्रतिवेदन के अनुसार भी राज्य में विभिन्न श्रेणी के कृषि परिवारों एवं उनके स्वामित्व वाली भूमि के प्रतिशत वितरण में बहुत असमानताएं हैं। इस प्रतिवदेन के अनुसार राज्य में विभिन्न श्रेणी परिवारों एवं उनके स्वामित्व वाली भूमि का प्रतिशत वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5: राजस्थान में विभिन्न श्रेणी के कृषि परिवारों एवं उनके स्वामित्व वाली भूमि का प्रतिशत वितरण (जुलाई 2018 – जून 2019)

श्रेणी	भूमिहीन	सीमांत	लघु	अर्ध मध्यम	मध्यम	बड़े किसान	कुल
परिवारों का प्रतिशत	1.9	53.9	21.5	14.5	7.6	0.8	100
भू-स्वामित्व का प्रतिशत	0	18.1	20.1	25.1	29.6	7.1	100

स्रोत: ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि एवं पशुधन धृतियों का मूल्यांकन, 2019, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे-एनएसएस, 77वां दौर

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य के कुल कृषि परिवारों में करीब 1.9 प्रतिशत भूमिहीन परिवार हैं, वहीं 53.9 प्रतिशत सीमातं श्रेणी के परिवार हैं जिनके कुल स्वामित्व की केवल 18.1 प्रतिशत भूमि ही है। जबकि 21.5 प्रतिशत लघु श्रेणी के परिवार हैं जिनके पास 20 प्रतिशत भूमि है एवं 14.5 प्रतिशत अर्ध मध्यम परिवारों के पास 25 प्रतिशत भूमि है। वहीं सोचने वाली बात है कि राज्य के कुल कृषि परिवारों में 7.6 प्रतिशत मध्यम श्रेणी के हैं जिनके पास कुल भूमि का 29.6 प्रतिशत हिस्सा है जबकि मात्र 0.8 प्रतिशत बड़े किसान परिवारों के पास 7.1 प्रतिशत भूमि है।

अतः राज्य में भू-जोतों के वितरण में बहुत असमानताएं हैं। राज्य में कृषि जोतों का सामाजिक समूहवार वितरण देखा जाये तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के परिवारों में सीमातं जोतों का प्रतिशत तुलनात्मक रुप से बहुत अधिक है।

राज्य में महिला किसान: कृषि गणना, 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि 2010-11 में यह संख्या 5.46 लाख थी। अतः इस लिहाज से इसमें 41.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है (आर्थिक समीक्षा, 2020-21)। यदि कुल जोतों में महिला प्रचालित जोतों का प्रतिशत देखा जाये तो 2015-16 में यह 10.1 प्रतिशत रहा, जो 2010-11 में 7.9 प्रतिशत था। हालांकि राज्य में महिलाएं व्यापक स्तर पर कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में जुड़ी हुई हैं। अतः इन महिलाओं को किसान के तौर पर पहचान दिये जाने के साथ कृषि से जुड़ी नीतियों, योजनाओं एवं प्रशिक्षणों को महिलाओं के अनुकूल बनाये जाने की आवश्यकता है।

राज्य में भूजल की स्थिति एवं वर्षा पर निर्भरता

राजस्थान में जल संसाधनों को देखें तो राज्य में भूजल की स्थिति, देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कमज़ोर है। राज्य में देश के कुल भूजल का 1.7 प्रतिशत उपलब्ध है। राज्य में भूजल की स्थिति पिछले दो दशकों में तीव्र गति से बिगड़ी है। भूजल विभाग (राजस्थान सरकार) के 2020-21 के वार्षिक प्रगति प्रतिवदेन के अनुसार राज्य के 249 खंडों में से केवल 45 खंड सुरक्षित श्रेणी में है, जबकि 185 खंड अति दोहित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन यहां सतही जल संसाधनों की कमी है। देश के कुल सतही जल में राजस्थान का हिस्सा देखा जाये तो यह केवल 1.16 प्रतिशत ही है।

राज्य में 90 प्रतिशत वर्षा मानसून सत्र में होती है एवं मानसून की अवधि भी कम रहती है (मानसून देर से आता है एवं जल्दी चला जाता है)। वहीं राज्य में वर्षा के वितरण में भी बहुत असमानताएं रहती है। राज्य के दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 550-1100 मिमी तथा उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्र में 200-370 मिमी से 200-700 मिमी तक औसत वर्षा होती है। इसके साथ ही प्रदेश को हर वर्ष अनावृष्टि और असमान वर्षा वितरण जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में प्रत्यके 5 सालों में से करीब 3 साल सुखा पड़ता है एवं परिणामस्वरुप किसानी तथा कृषि फसलें एवं पैदावार प्रभावित होती है। अतः राज्य में कृषि विकास के समक्ष सबसे बड़ी बाधा वर्षा की अनिश्चितता एवं कमी तथा सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता है। इस कारण राज्य में बोये जाने वाले फसलीय क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इन कारणों से राज्य में कृषि को 'मानसून का जुआ' कहा जाता है।

राज्य में सिंचित क्षेत्र एवं साधनों की स्थिति

कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है एवं सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष में केवल एक ही फसल लेना संभव हो पाता है तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी कम है। राज्य में कुल कृषिगत क्षेत्र का 35 से 38 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है, जबकि शेष 62 से 65 प्रतिशत गैर सिंचित क्षेत्र है।

राज्य में जिलेवार सकल सिंचित क्षेत्रः राज्य में जिलेवार सकल सिंचित क्षेत्र का विवरण निम्न चार्ट में दर्षाया गया है:

चार्ट 3: राजस्थान में जिलेवार सकल सिंचित क्षेत्र (प्रतिशत में)

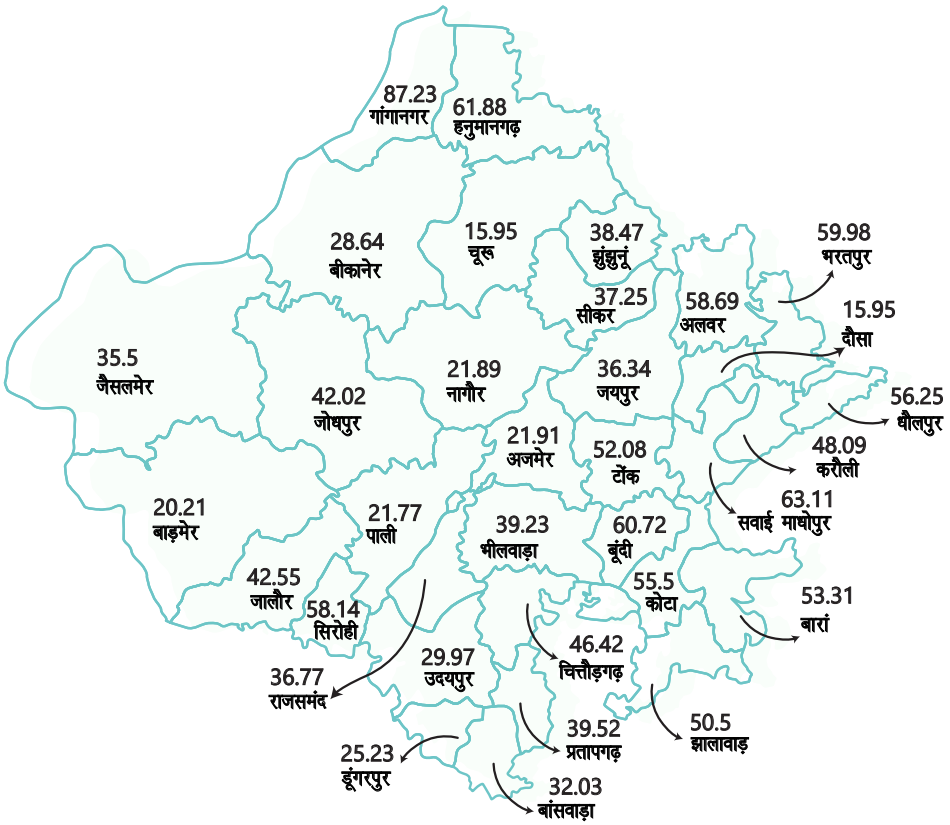

स्रोतः कृषि सांख्यिकी 2017-18, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

चार्ट 3 से देखा जा सकता है कि राज्य में सिंचित क्षेत्र में भी काफी असमानताएं हैं। राज्य के गंगानगर जिले में सकल सिंचित क्षेत्र का हिस्सा 87 प्रतिशत से अधिक है वहीं चुरु जिले में यह मात्र तकरीबन 16 प्रतिशत ही है। राज्य में मात्र 9 जिले ही हैं जहां 50 प्रतिशत से अधिक सिचिंत क्षैत्र है जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, अलवर, सवाई माधापुर, भरतपुर, धौलपुर, और बारां शामिल है। जिसका प्रमुख कारण इन जिलों में सिंचाई हेतु नहरों का विकास होना है। हालांकि समग्र रुप से देखा जाये तो राज्य में अधिकांश सिंचाई कुओं एवं नलकूपों पर निर्भर है। अतः शेष जिलों में भी सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी हेतु क्षेत्रीय आवश्यकताओं का आकलन कर लघु सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।

सिंचाई के साधन एवं निर्भरताः राज्य में सिंचाई के विभिन्न स्त्रोतों पर सिंचाई की निर्भरता देखते हैं तो राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक सिंचाई, कुओं एवं नलकूपों पर निर्भर है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का तकरीबन 25 प्रतिशत हिस्सा ही नहरों पर निर्भर है जबकि 1 प्रतिशत से कम हिस्सा तालाबों पर निर्भर है।

तालिका 6: राजस्थान में स्त्रोतवार शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
नहरें	25.89	25.35	24.30	24.47	24.94	24.44	24.13	24.35
तालाब	0.97	1.22	0.88	0.88	0.83	1.20	0.85	0.42
कुऐं एवं नलकूप	71.77	71.77	72.70	72.74	72.75	72.14	73.52	73.28
अन्य स्त्रोत	1.37	1.66	2.12	1.90	1.47	2.22	1.50	1.96

स्रोतः आर्थिक समीक्षा, 2020-21, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

चार्ट 4: स्त्रोतवार शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत (2018-19)

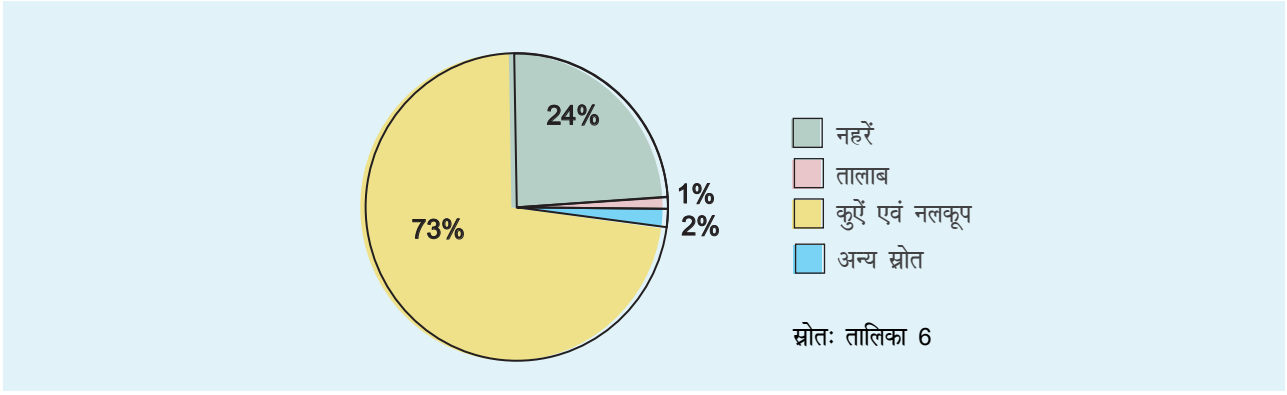

स्रोतः तालिका 6

अतः उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य में अधिकांश सिंचाई, कुओं एवं नलकूपों पर निर्भर है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि कुओं एवं नलकूपों में पानी की उपलब्धता एवं जल-स्तर भी वर्षा पर ही निर्भर रहता है। जबकि राज्य में वर्षा काफी असमान होने के साथ यह काफी कम, अपर्याप्त एवं अनिश्चित रहती है।

वर्षा आधारित खेतीः वर्षा पर निर्भरता

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कृषि अधिकांश रुप से वर्षा-आधारित है एवं विभिन्न अध्ययनों में वर्षा-आधारित कृषि की पहचान के दो मापदडं उपयोग किये जाते हैं- सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत एवं औसत वर्षा। सिंचित क्षेत्र का सकल फसल क्षेत्र में 25 प्रतिशत (एक अध्ययन में 30 प्रतिशत) से कम होने और औसत वर्षा के 500 मिलीमीटर (मिमी) से 1500 मिमी तक होने या कुछ मामलों में 375 मिमी से 750 मिमि तक होना माना गया है। 25 प्रतिशत से कम वर्षा वाले मानदडं के अनुसार राज्य के 5 जिले (अजमेर, बाड़मेर, चुरु, डूंगरपुर, नागौर एवं पाली (एवं 30 प्रतिशत वाले मानदडं के अनुसार उदयपुर सहित 6 जिले हो जाते हैं) (केर, 1996)। एक अन्य अध्ययन के अनुसार राज्य के 33 जिलों में से 21 जिले वर्षा-आधारित क्षेत्र में आते हैं (वेंकटेश वरलु, 2017)[2]। अतः इस लिहाज से राज्य के दो-तिहाई जिले वर्षा-आधारित क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में राज्य में कृषि विकास हेतु वर्षा-आधारित खेती पर नीतिगत एवं योजनागत कदम उठाने की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन एवं कृषि

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जिसके राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, जल संसाधन, वानिकी एवं जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य, उर्जा एवं बुनियादी ढांचे पर प्रभाव पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन या मौसम में बदलाव के परिणामस्वरुप समुद्री तुफानों, आंधियों तथा तीव्र एवं अधिक वर्षा की स्थितियां पैदा हो रही है जिससे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र प्रभावित हो रहें हैं। विगत कुछ वर्षों में राजस्थान में विशेष रुप से राज्य के पश्चिमी भाग में औसत से अधिक वर्षा होना मौसम में हो रहे बदलाव का परिणाम है[3]। राजस्थान में भी गत वर्षों में वर्षा की अनियमित बढ़ोतरी के परिणामस्वरुप टिड्डियों एवं अन्य कीडों की बढ़ोतरी हुई है, जो फसलों के लिये खतरा साबित हो रहे हैं।[4] रेगिस्तानी इलाकों में अधिक वर्षा से पनपी हरियाली टिड्डियों को अंडे देने एवं बढ़ने के लिये अनुकूल वातावरण मिलता है। जलवायु परिवर्तन कृषि एवं संबंधित क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है।

कृषि से संबंधित राज्य नीति

सीड एक्शन प्लान (2007): राजस्थान में कृषि पैदावार एवं संबधित गतिविधियों की आय बढाने हेतु 2007 में सीड एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसमें यह बताया गया है कि राज्य में बीज प्रतिस्थापन दर (पारपंरिक बीजों के स्थान पर संकर तथा उच्च उत्पादकता वाले बीज की बुवाई की दर) बहुत कम है और इसी वजह से राज्य में कृषि पैदावार बहुत कम है। अतः राज्य में कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने की आवश्यकता है[5]। इस रणनीति के अनुसार वर्ष 2007-08 में राज्य में बीज प्रतिस्थापन की दर 20 प्रतिशत थी। अतः 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये[6]। हालांकि वर्ष 2012 तक केवल 21 प्रतिशत तक बीज प्रतिस्थापन दर ही हासिल हो सकी। इसके बाद 12 वीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि विकास एवं पैदावार बढ़ाने हेतु राज्य में बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाना लक्षित किया गया।

इसी परिपेक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में गोल्डन रेज़ परियोजना शुरु की गयी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निजी-सार्वजनिक साझेदारी (पी.पी.पी.) की तर्ज पर महन्सेंटो सहित अन्य निजी कंपनियों से अनुबंध कर दक्षिणी राजस्थान में मक्का के

[2]http://www.rainfedindia.org/wp-content/uploads/2019/01/Rainfed-Ecosystems-in-India-A-Perspective-Dr-JV.pdf
[3]https://www.cecoedecon.org.in/wp-content/uploads/2021/09/Tiddi-Guidlines-book.pdf
[4]https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/climate-change-in-india-either-adapt-or-perish-in- rajasthan-61875
[5] Seed Action Plan for Achieving Desirable Seed Replacement Rate in Rajasthan, 2007 (Available on: https://agriculture.rajasthan.gov.in/content/dam/agriculture/Agriculture%20Department/ecitizen/agriculture- inputs/seed/SeedPlan.pdf)
[6] https://plan.rajasthan.gov.in/content/dam/planning-portal/planning-dpt/plan/annual-plans/chapters/year- 2011-12/904032014115955.pdf

संकर बीज वितरीत किये गये[7]। इस प्रकार के कार्यक्रमों एवं पहलों के परिणामस्वरुप किसानों की बीज संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था प्रभा. वित होने के साथ बीजों हेतु बाजार पर निर्भरता बढ़ी है।

राज्य कृषि नीति (2013): राजस्थान में कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2013 में कृषि नीति घोषित की गई। इस नीति को विशेष रूप से अल्प वर्षा, पानी की कमी, अकुशल जल प्रबधंन प्रथाएं, लगातार सूखे के कारण उत्पादकता में गिरावट, पशुओं हेतु चारे का आभाव एवं इनकी मृत्यु, जलवायु परिवर्तन, कृषि आधारित शुष्क भूमि/शुष्क कृषि को बढ़ावा देना कमजोर मृदा स्वास्थ्य, उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, सूक्ष्म पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थों, मृदा में सूक्ष्म जीवों की कमी आदि चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कृषि नीति में सामाजिक न्याय और समानता, खाद्य और पोषण सुरक्षा (उच्च प्राथमिकता) तथा सभी के लिए संतुलित आहार सुनिश्चित करने, पशुओं के चारे की मांग को पूरा करने, मौजूदा उपज अतंर को पाटना, पानी को कम से कम 30 प्रतिशत बचाने और प्रति यूनिट पानी की उत्पादकता बढ़ानें, सुखा क्षेत्रों को हरा भरा बनाने, मुख्य फसलें जैसे बाजरा, ग्वार, दलहन, तेल के बीज, मसाले की उत्पादकता बढ़ाने, शहरी क्षेत्रों में अस्थायी और स्थायी प्रवास को हतोत्साहित करने, कृषि में पूंजी निर्माण में तेज़ी लाने, विकास की पहल को लागू करने पर जोऱ देने की बात करती है।

इस कृषि नीति में अगले 10 वर्षों में खाद्यान्न का दोगुना उत्पादन करने, प्रतिवर्ष कम से कम 4 प्रतिशत कृषि विकास दर को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया। कृषि नीति में वर्ष 2014-15 में कुल आयोजना की 10 प्रतिशत राशि कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर व्यय करने की बात की गयी। इसके अलावा इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कृषि क्षेत्र के बजट खर्च की समय-समय पर समीक्षा करके इसमें समुचित बढ़ोतरी की जायेगी। लेकिन 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के समीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए मदवार आयोजना व्यय के आंकडों को देखा जाए तो इसके पांच वर्षों की अवधि में राज्य के कुल आयोजना व्यय (318065.7 करोड़ रू) में से मात्र करीब 7.2 प्रतिशत (22963.7 करोड़ रू) राशि ही कृषि एवं संबद्ध सेवाओं तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर व्यय की गयी[8]। राज्य कृषि नीति, जल की कमी को स्वीकार करते हुए यहां जल के अधिकतम उपयोग तथा कम सिंचाई से पैदा होने वाले फसलों एवं बीजों की बात करती है। इसमें लघु सिंचाई परियोजनाओं, वर्षा जल संग्रहण, तालाब, आदि के निर्माण तथा रख रखाव के साथ खारे पानी तथा दुषित जल की सफाई कर इसे सिंचाई के लिये उपयोग मे लाने की बात कही गई है।

राज्य जल नीति (2010): राज्य में सरकार द्वारा 2010 में एक जल नीति घोषित की गयी, जिसमें जल के उद्योग और व्यावसायिक उपयोगों की तुलना में कृषि को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, पानी के मुद्दों पर कार्य करने वाले विशेषज्ञ इसके कार्यान्वयन पर सवाल उठाते हैं। नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) ने भी यह इंगित किया है कि राज्य सरकार पेय जल आपूर्ति के मामले में व्यापक योजना और परिपेक्ष्य योजना तैयार नहीं कर सकी एवं परिणामस्वरूप राज्य जल नीति को कार्य योजना में नहीं बदला जा सका (उपाध्याय, 2018)[9]

राजस्थान किसान आयोग:

राज्य में कृषि एवं संबधित क्षेत्रों की समस्याओं की जांच एवं समीक्षा कर इनके टिकाउ विकास हेतु सलाह लेने के लिये राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2007 में किसान आयोग का गठन किया। किसान आयागे का प्रमुख उद्देश्य राज्य में किसानों, पशुपालकों, कृषि मजदूरों आदि की समस्याओं की जांच हेतु किसानों, किसान युनियनों व संगठनों से वार्ता करना, तथा कृषि पैदावार बढ़ाने, कृषि हेतु ऋण, आदानों, उत्पादन का उचित मुल्य एवं किसानों कि दशा सुधारने तथा अन्य मुद्दों की समीक्षा करके नीतिगत निर्णयों के सम्बन्ध में सरकार को अवगत कराना है। किसान आयोग में अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्यों (विषय विशेषज्ञों) के नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। किसान आयोग से यह भी अपेक्षा है कि राज्य की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुये राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों की समस्याओं की पहचान करे। इसके अलावा कृषि से जुड़ी समस्याओं एवं बढ़ती महंगाई, गिरते भूजल स्तर, प्राकृतिक आपदाओं, उपज के उचित मूल्य के अभाव, आदानों की बढ़ती कीमतें, विपणन एवं प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव आदि समस्याओं पर अपनी

[7]http://www.kisanswaraj.in/wp-content/uploads/Rajasthan-hybrid-maize-FF-rpt-feb20121.pdf

[8]https://plan.rajasthan.gov.in/content/dam/planning-portal/planning-dpt/plan/review-of- plans/XII%20Five%20Year%20Plan%202012-17/12th_Five_Year_Plan_Review.pdf.#xii-five-year-plan-2012-17

[9]https://www.indiawaterportal.org/articles/state-drinking-water-supply-schemes-rajasthan

अनुसंशाएं सरकार को प्रेषित करे। विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (2021-22) के अनुसार किसान आयोग द्वारा अभी तक केवल दो प्रतिवेदन (जिनमें पहला जून 2012 में एवं दूसरा जुलाई 2013 में) ही सरकार को प्रस्तुत किये हैं।

कृषि एवं संबधित क्षेत्रों के विकास हेतु प्रमुख रुप से कृषि विभाग, उद्यान, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैड. रेशन लिमिटडे, सहकारिता, जल संसाधन, पशुपालन, मत्स्य आदि विभाग/मद शामिल हैं।

राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट

राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर सरकारी व्यय एवं बजट को देखा जाये तो राज्य के कुल बजट का 4 से 5 प्रतिशत हिस्सा कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर आवंटित किया जाता है जबकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु करीब 2.5 प्रतिशत हिस्सा रहता है। अतः दोनों (कृषि एवं सिचाई क्षेत्रों) को मिलाकर कुल बजट का 6 से 7.5 हिस्सा आवंटित किया जाता है। वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान में कृषि और संबद्ध क्षेत्र हेतु कुल आवंटन 13782.04 करोड़ रू. था जो इस वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में घटकर 11809.17 कराड़े रू रह गया है। अतः कृषि और संबद्ध क्षेत्र का बजट देखें तो वर्ष (2021-22) के बजट अनुमान में गत वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में गिरावट आई है। जबकि राज्य की करीब 62 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है।

तालिका 7: राजस्थान में कृषि और संबद्ध सेवाएं तथा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण हेतु बजट (राशि करोड़ रु. में)

वर्ष/मद		कृषि और संबद्ध सेवाएं	राज्य बजट का प्रतिशत	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	राज्य बजट का प्रतिशत
2018-19	ब.अ.	8828.01	4.47	2257.28	2.72
	वा.व.	8782.19	4.64	4108.64	2.17
2019-20	ब.अ.	10198.39	4.70	4762.14	2.18
	वा.व.	10522.47	5.29	4085.02	2.06
2020-21	ब.अ.	11441.15	5.07	5637.86	2.50
	स.अ.	13782.04	5.56	4895.14	1.97
2020-21	ब.अ.	11809.17	4.71	6184.06	2.47

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष
नोटः ब.अ.- बजट अनुमान स.अ.- संशोधित अनुमान वा.व.- वास्तविक व्यय

कृषि और संबद्ध सेवाओं के बजट का मदवार विवरणः कृषि और संबद्ध सेवाओं के कुल बजट का प्रमुख मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। इन आकंड़ों से देखा जा सकता है कि पहले कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कुल बजट का अधिकांश हिस्सा फसल कृषिकर्म की ओर जाता था, लेकिन वर्ष 2018-19 में ऋण माफी की घोषणा के कारण सहकारिता के बजट में फसल कृषिकर्म के बजट की तुलना में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गयी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में किसानों को ऋण माफी प्रदान करने की घोषणाओं के परिणामस्वरुप पिछले 2-3 वर्षों में सहकारिता का बजट कई गुना बढ़ गया है। अतः कहा जा सकता है कि बजट में नकद लाभ हस्तांतरण आधारित योजनाओं के हिस्से में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में सहकारिता का बजट, फसल कृषिकर्म के बजट के लगभग बराबर ही रखा गया है। जबकि अन्य प्रमुख मदों जैसे- मृदा एवं जल संरक्षण, मछली पालन, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा आदि के बजट में कोई खास बढ़ातेरी नहीं की गयी है।

तालिका 8: कृषि और संबद्ध क्षेत्र के बजट का प्रमुख मदवार विवरण (राशि करोड़ रु. में)

मद/वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20		2020-21		2021-22
	वा.व.	वा.व.	ब.अ.	वा.व.	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
फसल कृषिकर्म	2748.9	2459.5	3128	2547.2	3431.6	4542.2	3768.42
मृदा एवं जल संरक्षण	62.3	70	54.2	59	64	63.3	62.42
पशुपालन	1026.5	1202	1586	1442.3	1618.4	1783.1	1934.36
डेयरी	1.77	39.1	200	200	200.3	200.3	203.25
मछलीपालन	15.1	14	17.9	14.5	17.8	15.9	16.39
वन	877.28	847.7	952.9	772	857	1141.8	1102.18
वेयरहाउस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	239.9	278.6	294.1	290.1	322	266.5	288.26
सहकारिता	523.1	3859.9	3841.5	5164	4837.6	5571.13	3718.81
अन्य कृषि सेवाएं	9.84	11.6	11.5	32.8	91.9	197.8	715.08
योग	5504.56	8782.2	11086	10522.5	11441.2	13782.04	11809.17

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष
नोटः ब.अ.- बजट अनुमान स.अ.- संशोधित अनुमान वा.व.- वास्तविक व्यय

वहीं गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में अन्य कृषि सेवाएं के अतंर्गत करीब 715 करोड़ रु का बजट आवंटित किया गया है जबकि 2020-21 (बजट अनुमान) में यह मात्र 91.9 करोड़ रु ही था। इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड को सहायता, मुख्यमंत्री कृषक साथी याजेना तथा कृषक उत्पादक संगठन योजना में प्रावधान के कारण हुई है।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के बजट का प्रमुख मदवार विवरणः निम्न तालिका में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के बजट का प्रमुख मदवार विवरण दिखाया गया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के कुल बजट का अधिकांश हिस्सा मुख्य सिंचाई परियोजनाओं हेतु आवंटित किया जाता है जबकि कुल सिंचाई बजट का बहुत कम हिस्सा मध्यम और लघु सिंचाई हेतु आवंटित किया जाता है।

तालिका 9: सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के बजट का प्रमुख मदवार विवरण (राशि करोड़ रु. में)

मद/वर्ष	2018-19		2019-20		2020-21			2021-22
	ब.अ.	वा.व.	ब.अ.	वा.व.	ब.अ.	सं.अ.	वा.व.	ब.अ.
मुख्य सिंचाई	4267.81	3160.06	3434.26	3100.12	4162.06	3792.77	3578.99	4749.52
मध्यम सिंचाई	544.95	320.32	484.07	353.56	537.72	495.13	440.07	511.18
लघु सिंचाई	536.04	591.61	789.31	583.91	893.23	568.44	524.96	883.14
कमान क्षेत्र विकास	25.69	36.65	54.5	47.43	44.85	38.80	38.99	40.21
योग	5374.49	4108.64	4762.14	4085.02	5637.86	4895.14	4583.01	6184.06

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष
नोटः ब.अ.- बजट अनुमान स.अ.- संशोधित अनुमान वा.व.- वास्तविक व्यय

चार्ट 5: सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के बजट का प्रमुख मदवार प्रतिशत वितरण

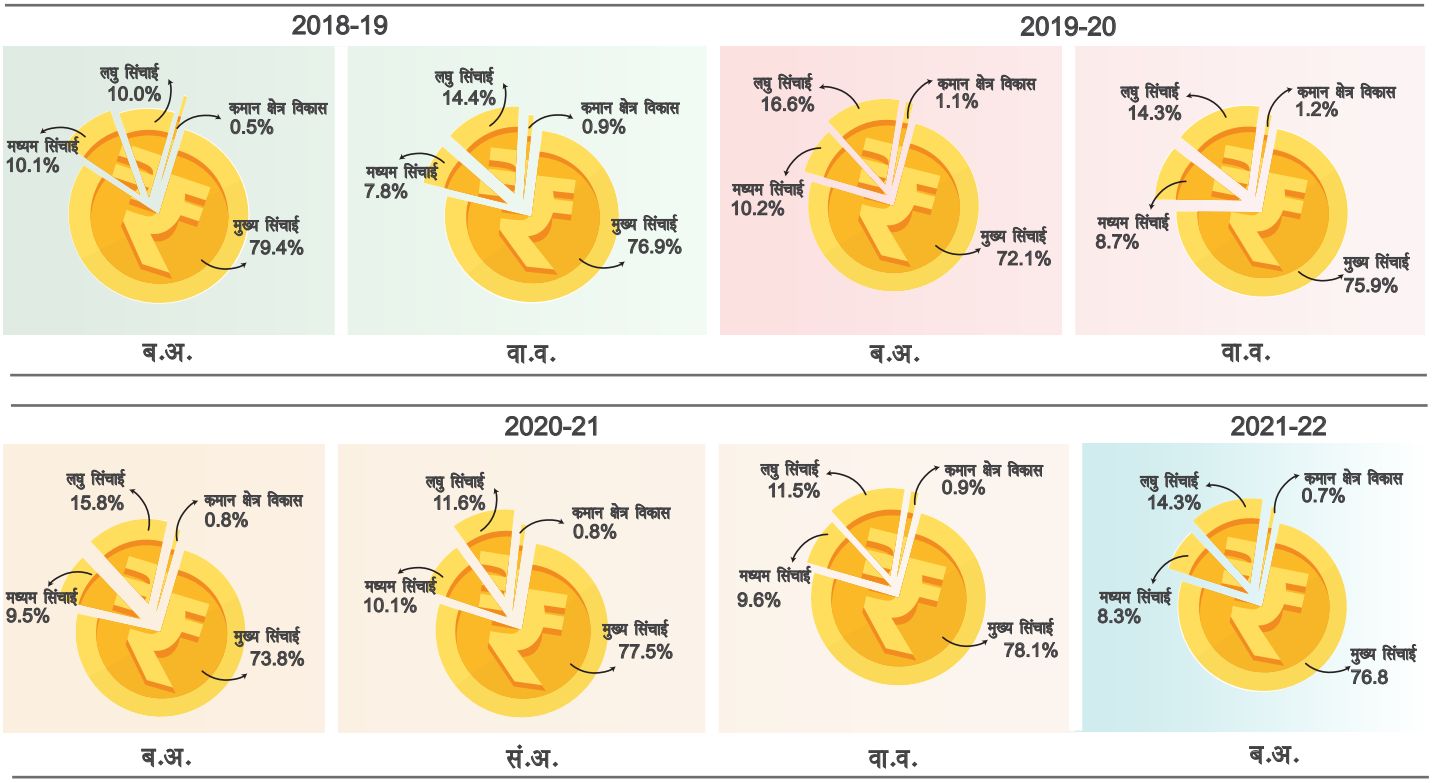

स्रोतः तालिका 7

नोटः ब.अ.- बजट अनुमान स.अ.- संशोधित अनुमान वा.व.- वास्तविक व्यय

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के कुल बजट का करीब 76.8 प्रतिशत हिस्सा मुख्य सिंचाई हेतु आवंटित किया गया। पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों को देखा जाये तो लगभग हर साल मुख्य सिंचाई को कुल सिंचाई बजट का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आवंटित किया जा रहा है। दूसरी ओर, मध्यम और लघु सिंचाई हेतु कुल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण बजट का केवल तकरीबन एक चौथाई हिस्सा ही आवंटित होता है। राज्य में वर्षा आधारित कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाये तो लघु सिंचाई के लिए बजट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बजट वर्षा आधारित कृषि के लिए उपयुक्त लघु सिंचाई परियोजनाओं की सहायता करता है।

कृषि एवं संबंधित विभागों में जेंडर बजट : जेंडर बजट विवरण राज्य बजट के साथ जारी किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार के सभी विभाग यह बताते हैं कि उनके विभिन्न योजनाओं के बजट का कितना हिस्सा महिलाओं और बच्चियों की तरफ जाता है। वर्ष 2019-20 से जेंडर बजट दो श्रेणियों में आने लगा है, श्रेणी 'अ' (70 प्रतिशत एवं अधिक प्रावधान वाली विशिष्ट योजनाओं का विवरण) तथा श्रेणी 'ब' (70 प्रतिशत से कम प्रावधान वाली विशिष्ट योजनाओं का विवरण)। गौरतलब है कि खेती एवं पशुपालन संबंधित अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं अतः कृषि एवं सम्बंधित विभागों में जेंडर बजटिंग बहुत महत्त्वपूर्ण है। कृषि एवं सम्बंधित विभागों में जेंडर बजट की स्थिति का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 10: कृषि एवं संबंधित विभागों में जेंडर बजट की स्थिति (राशि करोड़ रु. में)

विभाग/वर्ष	2019-20			2020-21			2021-22		
	ब.अ.	ब.अ. में जेडंर बजट	जेडंर बजट का प्रतिशत	ब.अ.	ब.अ. में जेडंर बजट	जेडंर बजट का प्रतिशत	ब.अ.	ब.अ. में जेडंर बजट	जेडंर बजट का प्रतिशत
कृषि विभाग									
श्रेणी'अ'	17.74	16.94	95.54	18.74	18.74	93.2	16.60	16.60	99.1
श्रेणी'ब'	2028.96	610.19	30.07	2318.08	695.54	30.00	2531.59	994.02	39.26
कृषि विभाग (अ+ब)	2046.7	627.1	30.6	2336.8	714.3	30.6	2548.2	1010.6	39.7
सहकारिता विभाग (श्रेणी'अ')	0.21	0.21	100	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-
उद्यान विभाग (श्रेणी'ब')	-NA-	-NA-	-NA-	181.67	18.17	10.00	240.94	13.35	5.54

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष
नोटः ब.अ.- बजट अनुमान NA - उपलब्ध नहीं

कृषि एवं सम्बंधित विभागों में जेंडर बजट कि स्थिति को देखा जाए तो इन विभागों द्वारा अपने कुल बजट में से बहुत ही कम हिस्सा जेंडर बजट विवरण के अतंर्गत रिपोर्ट किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में कृषि विभाग द्वारा अपने कुल बजट 4297 करोड़ रू में से जेंडर बजट विवरण की श्रेणी 'अ' तथा श्रेणी 'ब' को मिलाकर रिपोर्टेड बजट 2548 करोड़ रुपये है। इस रिपोर्टेड बजट में से केवल 1010 करोड़ रू का बजट महिलाओं हेतु आवंटित किया गया है जो रिपोर्टेड बजट का करीब 39.6 प्रतिशत है। उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि कृषि विभाग द्वारा श्रेणी 'अ' में शामिल योजनाओं के अंतर्गत केवल 3 योजनाएं ही शामिल की गई है जिनके लिए 16.6 करोड़ रू का बजट आवंटित किया गया है। जबकि अधिकांश योजनाएं/कार्यक्रम भाग बी में शामिल हैं जिनके अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु इन योजनाओं के कुल बजट की 39 प्रतिशत राशि महिलाओं हेतु आवंटित की गई है जबकि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में इसका हिस्सा भाग बी में शामिल योजनाओं के कुल बजट का 30 प्रतिशत ही रहा। सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 केवल दो योजनाओं को जेंडर बजट विवरण की श्रेणी 'अ' में दर्शाया गया था लेकिन वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में इस विभाग द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया। अतः कृषि एवं संबंधित विभागों में से केवल कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग द्वारा ही जेंडर बजट विवरण के श्रेणी 'अ' के अंतर्गत जेंडर बजट का प्रावधान किया जा रहा है लेकिन इसके अंतर्गत बहुत ही कम योजनाएं हैं एवं इनका बजट भी काफी कम है। जबकि अन्य विभाग श्रेणी 'ब' के अंतर्गत रिपोर्ट कर रहे हैं। उद्यान विभाग द्वारा जेंडर बजट विवरण के अतंर्गत भाग बी में शामिल योजनाओं में वर्ष 2021-22 हेतु 5.5 प्रतिशत राशि ही महिलाओं के लिए आवंटित की गई है। कुल मिलाकर कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा जेंडर बजट विवरण के अंतर्गत रिपोर्ट की गयी अधिकांश योजनाओं/कार्यक्रमों को भाग-बी में शामिल किया गया है जिनमें कुल बजट की तकरीबन एक-तिहाई राशि ही महिलाओं को लक्षित करती है। अतः कृषि एवं संबंधित विभागों को जमीनी स्तर पर महिलाओं की आवश्यकताओं की पहचान कर पहले से संचालित कार्यक्रमों में महिलाओं हेतु प्रावधान करने के साथ नए कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा जेंडर बजट विवरण में केवल बजट अनुमान से संबंधित आंकड़ों का विवरण दिया जाता है। इस विवरण में वास्तविक व्यय एवं संशोधित बजट के आंकड़ों का भी विवरण दिया जाये ताकि महिलाओं हेतु बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे वास्तविक व्यय की जानकारी मिल सके।

नीतिगत मुद्दे एवं सुझाव

- राजस्थान में विविध प्रकार की कृषि-जलवायु विशेषताएं विद्यमान है एवं जलवायु के आधार पर राज्य को 10 जलवायुवीय क्षेत्रों में बांटा गया है। इन जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कृषि नीति बनाकर उनके अनुसार कृषि विकास की योजनाएं बनाकर लागू की जानी चाहिये।

- राज्य में अधिकांश कृषि वर्षा आधारित है, ऐसे में वर्षा आधारित कृषि के अनुकूल योजनाओं पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है।

- राज्य में जैविक खेती पर सरकार द्वारा स्पष्ट नीति तैयार कर लागू किये जाने की आवश्यकता है एवं इसके प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं उत्पादों हेतु बाजार की व्यवस्था की जानी चाहिये।

- राज्य में कृषि क्षेत्र पर सरकारी व्यय एवं बजट को देखा जाये तो राज्य में दोनों क्षेत्रों (कृषि एवं सिंचाई) को मिलाकर कुल बजट का 6 से 7.5 हिस्सा आवंटित किया जाता है। जबकि राज्य की करीब 62 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का करीब 30 प्रतिशत योगदान है। अतः इसको ध्यान में रखते हुये कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर बजट आवंटन को बढ़ाया जाना चाहिये।

- आवश्यक कृषि आदानों जैसे-खाद, बीज, सिंचाई आदि के लिये बेहतर योजनागत एवं बजटीय प्रावधानों की आवश्यकता है। राज्य में कृषि आदानों, विशेष रुप से बीज एवं खाद के लिये किसानों को बुवाई एवं आवश्यकता के समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

- राज्य में कृषि उत्पादों हेतु मंडियों की संख्या बढ़ाने के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम/संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिये।

- राजस्थान में महिलाएं कृषि में किसान एवं कृषि मजदूर के रुप में जुड़ी हुई हैं। महिला किसानों को कृषि से जुड़े प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों को महिलाओं के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।

- किसानों की विभिन्न योजनाओं का लाभ महिला किसान भी उठा सकें, इसके लिये नियमों को लचिला बनाकर अधिक आसान बनाया जाना चाहिये।

- कृषि कार्यों में कम से कम 100 दिन काम करने वाली महिलाओं को किसान के तौर पर पहचान दी जानी चाहिये।

- राज्य में करीब 58 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसान हैं जिनके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि है, ऐसे में इन किसानों हेतु कृषि, पशुपालन, मछलीपालन आदि से संबंधित कार्यक्रमों को लघु एवं सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए इनके अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।

- सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के कुल बजट का बड़ा हिस्सा करीब 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा मुख्य सिंचाई हेतु आवंटित किया जाता है। जबकि मध्यम और लघु सिंचाई हेतु कुल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण बजट का केवल तकरीबन एक चौथाई हिस्सा ही आवंटित होता है। अतः राज्य में वर्षा आधारित कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाये तो लघु सिंचाई परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह बजट वर्षा आधारित कृषि हेतु उपयुक्त लघु सिंचाई परियोजनाओं की सहायता करता है। अतः लघु सिंचाई परियाजेनाओं को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है।

- ग्रामीण स्तर पर छोटे तालाबों, एनीकटों के निर्माण के साथ इनकी मरम्मत करके सुधारा जाये।

CBGA

BARC